UPHR010049162026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।**

**उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०**

**(J.O. Code U.P.5728)**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2353/2026**

रहीफुद्दीन पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम गरीबपुरवा, थाना कोतवाली देहता, जिला हरदोई। ----------आवेदक/अभियुक्त

**बनाम**

सरकार---------- विपक्षी/अभियोगी।

**दिनांक–20.07.2026**

**1–** यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त रहीफुद्दीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 258/2024, अन्तर्गत धारा–305(डी), 331(4), 317(2) बी०एन०एस०, थाना माधौगंज, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

**2–** जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार मुन्नी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया गया है।

**3–** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा बुद्ध प्रकाश बाबा के द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की प्राथिमकी देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 19.07.2024 की शाम प्रार्थी मो० पश्चिमी पटेलनगर स्थित बूढ़ बाबा मंदिर में पूजा कर समय करीब 09.30 बजे गेट बंद कर घर चला गया। आज दिनांक 20.07.2024 की सुब प्रार्थी पूजा करने मंदिर गया तो देखा कि गेट पर टंगा 52 किलो का घंटा व मंदिर के अन्द टंगे छः घंटों को अज्ञात चोर निकाल कर ले गये, इसके पश्चात पश्चिमी पटेलनगर स्थित बंजरंगबली मंदिर में भी घंटें चोरी हो गये।

**4–** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क किया गया कि कथित चोरी किये गये घंटों के बावत प्रार्थी को एफ०आई०आर० में नाजमद नहीं किया गया है, अज्ञात चोरो के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयीहै। उसके मंदिर के घंटों की चोरी करते किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा व पहचाना है। पुलिस ने उसके विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, तब उसको पता चला। तब उसे उपरोक्त मुकदमें में जेल से तलब करने व कस्टडी वारण्ट बनाया है तब से वह उपरोक्त अपराध में जिला जेल,



Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.20 15:14:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हरदोई में बंद है। आवेदक/अभियुक्त का माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न ही प्रस्तुत किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत की याचना की गयी है।

**5–** प्रत्युत्तर में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को खण्डित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

**6–** जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

**7–** केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण ने मिलकर रात्रि के समय वादी मुकदमा के मंदिर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर एक बड़ा घंटा 52 किलो का व अन्य छः घंटों की चोरी कर लिया। पुलिस पार्टी द्वारा आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण को गिरफ्तार तो उनके कब्जे से इस प्रकरण से संबंधित चोरी का माल बरामद किया गया। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण के अतिरिक्त पाँच अन्य मुकदमों का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है किन्तु किसी भी मुकदमें उसे दोषसिद्ध होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त इस मुकदमें में दिनांक 08.07.2026 से जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

**8–** मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, अपराध की प्रकृति एवं उसमें प्रावधानित दण्ड को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त रहीफुद्दीन की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानत सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी० एन० एस० एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।
6. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

**दिनांक–20.07.2026**

**(रीता कौशिक)**
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।